प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2021***

विषय:- जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम शर्मा पुत्र श्री रामसिंगार शर्मा, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.09.2020, दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी प्रीतम शर्मा ग्राम-हरखपुर, थाना-मालीपुर, हाल पता कोटवा महमदपुर थाना-को0 अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। बन्दी को अमित वर्मा ने 50,000/- रू0 उधार दिया था। उन्ही रूपयों की वापसी को लेकर हुए विवाद के कारण दिनांक 29.11.2013 को प्रीतम शर्मा ने अमित वर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 28.04.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2020 तक 06 वर्ष 08 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 11 माह 17 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ने बंदी द्वारा किया गया अपराध जघन्य श्रेणी का होने एवं समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारावास में भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम शर्मा (बन्दी संख्या-214/2020) पुत्र श्री रामसिंगार शर्मा, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-107/2021/1065(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अम्बेडकरनगर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in